



कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800015
दूरभाष-0612-2215895, वेबसाइट-krishi.bih.nic.in ई-मेल-diragri-bih@nic.in,
diragri.bih@gmail.com



संचिका / पत्र सं०-09 / उपा० / बीज / अनु०-41 / 2019

कृ०, पटना, दिनांक.....

कार्यालय आदेश

मेसर्स गर्ग तराई एग्रो सीड्स के बीज अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रतिष्ठान से प्राप्त प्रपत्र-‘ए’, कोषागार चलान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए राज्य स्तरीय बीज अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

राज्य स्तरीय बीज अनुज्ञप्ति संख्या-20 / 2020 दिनांक 05.11.2020

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र-‘बी’ में अनुज्ञप्ति संख्या 22 / 2020 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित संलग्न सूची के अनुसार ही बीज का व्यापार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 04.11.2025 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संचिका संख्या-09/उपा०/बीज/अनु०-41/2019 के पृष्ठ 06/टि० पर 04.11.2020 के प्रस्ताव में कृषि निदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

ह०/-

(धनन्जय पति त्रिपाठी),

संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-.....4418.....

/कृ०, पटना, दिनांक 05/11/2020

प्रतिलिपि:-मेसर्स गर्ग तराई एग्रो सीड्स, सी०-149 प्रथम तल, मौर्यालोक कम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड, थाना-कोतवाली, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(धनन्जय पति त्रिपाठी)

संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स गर्ग तराई एग्रो सीड्स द्वारा व्यवसाय किये जाने वाले बीजों की सूची

पत्रांक:

4418


दिनांक: 05/11/2020

LIST OF SEED

SR.NO.	CROP	VARIETIES
1	WHEAT	PBW-343, PBW-373, PBW-502, PBW-154, PBW-226

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Private
(धनन्जय पति त्रिपाठी),
संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।
5/11/2020



Sachin Agarwal
Tripathi

5.11.2020



सत्यमेव जयते

FORM 'B'
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No 22/2020 .Date 05.11.2020

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence मेसर्स गर्ग तराई एग्री सीड्स, is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business, सी0-149 प्रथम तल, मौर्यालोक कम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड, थाना-कोतवाली, पटना the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Sale	Place of Storage
मेसर्स गर्ग तराई एग्री सीड्स, सी0-149 प्रथम तल, मौर्यालोक कम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड, थाना-कोतवाली, पटना	मेसर्स गर्ग तराई एग्री सीड्स अपोजिट कृति पेट्रोल पम्प, करमलीचक, जिला-पटना।
उत्तर - मेसर्स अम्बिका सेल्स कॉरपोरेशन, पटना	उत्तर - परती भूमि राम देव महतों
दक्षिण - सी0-125	दक्षिण - मेसर्स यू0पी0 तराई
पूरब - मेसर्स अम्बिका सेल्स कॉरपोरेशन, पटना	पूरब - रास्ता
पश्चिम - बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना	पश्चिम - परती भूमि

Date :

Seal :

Tripathi
5.11.2020

(Dhananjay Pati Tripathi)

Joint Director (Agronomy) Input

Signature of the Licensing Officer Seal

Authority vide order of Director Agriculture
on dated 04.11.2020 in file No. 09/Input.Seed.Lic.-
41/2019 Note Sheet page No-06/T

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto **04.11.2025** Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

Tripathi
5.11.2020

(Dhananjay Pati Tripathi)

Joint Director (Agronomy) Input

Signature of the Licensing Officer Seal

Authority vide order of Director Agriculture
on dated 04.11.2020 in file No. 09/Input.Seed.Lic.-
41/2019 Note Sheet page No-06/T